

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-कुशीनगर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक/224 / ग्रा0अ0वि0 / निविदा-पडरौना / 2018-19

दिनांक 19-9- / 2018

विषय:- निविदा सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रखण्ड-कुशीनगर की निविदा सूचना प्रकाशन हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना वर्ष 2018-19 की एक प्रति एवं एक सी0डी0 मूल रूप में संलग्नकर दो मुख्य समाचार पत्र द्वारा सप्ताह में दो दिन कुशीनगर संस्करण में प्रकाशित करने हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इं.आर.एन.सोनकर)
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-कुशीनगर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
- 2-अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर।
- 3-पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 4-अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर।
- 5-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6-नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

19/9/18
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-कुशीनगर।

निविदा सूचना-11/2018-19

महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पडरौना, कुशीनगर, ग्रा0 अ0वि0 उ0प्र0 में पंजीकृत एवं पात्र टेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख) में	जमानत धनराशि (रु0 लाख) में	निविदा प्रपत्र की धनराशि	पूर्ण करने का समय	अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	जिलाधिकारी का पता	मुख्य अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
किटिकल गैप्स योजना वर्ष 2018-19										
1	Kushinagar	ग्राम पंचायत कुसम्हा टोला चिकिया में रामकोला मथौली प्रधान मंत्री सड़क जो कि लालबाबू की दुकान के सामने से दुबौली गांव के उत्तर से ग्राम पंचायत मोती पाकड़ जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	8.02	0.160	752.00 समस्त करों सहित	3 माह	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-कुशीनगर	अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-गोरखपुर	जिलाधिकारी, कुशीनगर	मुख्य अभियन्ता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

- कार्य को पूर्ण करने की समयवधि वर्ष ऋतु को शामिल करते हुए कालम सं0 7 में इंगित है।
- निविदा की वैधता तीन माह होगी। एक बार प्रस्तुत की गई निविदा निविदादाता द्वारा वापस नहीं ली जा सकती है।
- कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधी0 अभि0, एवं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जैसा कि कालम 8, एवं 10 में इंगित पते से दिनांक 22.10.2018 से 24.10.2018 तक प्राप्त: 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में गैर वापसी शुल्क उक्तानुसार जैसा कि कालम सं0 6 में दर्शाया गया है, में नगद या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अ0अ0, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-पडरौना, कुशीनगर के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा, प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं, टेकेदार जो अन्य जानकारियों प्राप्त करना चाहते हैं तो वह जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीदे हैं वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगायें जाने की अवस्था में टेकेदार को दिनांक 06.10.2018 को सांय 4.00 बजे से पूर्व रु0 200/- अतिरिक्त जमा करने होंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा। ड्राइंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम सं0 8 में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है।

- 4 वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र डानलोड की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र प्रमाणिक मानी जायेगी। निविदायें अधिशासी अभियन्ता, एवं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जिनके पते क्रमशः 8, एवं 10 में इंगित हैं, को दिनांक 26.10.2018 दोपहर 12.30 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी तथा उसी दिन दिनांक 26.10.2018 को दोपहर 2.00 बजे निविदाओं या उनके प्रतिनिधियों के सम्मक्ष निविदा कार्यालय जिलाधिकारी कुशीनगर में खोली जायेगी एवं निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में प्रातः या खोली जायेगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।
- 5 प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा जो एन0एस0सी0 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक होगी, जो कि निविदा की वैधता तिथि से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
- 6 ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी अवर अभियन्ता, स0अ0, अ0अ0, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि खड वृत्त में कार्यरत हैं।
- 7 ऐसे राजपत्रित अभियन्ता / अधिकारी जिनका राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की सेवा से 2 साल सेवा निवृत्ति पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता/ अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 8 निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की समय 11.00 बजे से 4 बजे तक दिनांक 22.10.2018 से 22.10.2018 को प्राप्त की जा सकती है।
- 9 अपराधिक रिकार्ड वाले निविदा दाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 10 कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 11 दस लाख के उपर के कार्यों के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक काय करने के लिए (संलग्नक-1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सारी सूचनाएं एफीडेविट के रूप में देनी होगी, जिससे कि निविदादाता की बिड कैपिसिटी आकलित की जा सके। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व बिड कैपिसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन-3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी। जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपिसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 12 निविदादात को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनायें निर्धारित प्रपत्र (टी0-4, टी0-5, टी0-6) जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13 बिना पूर्व सूचना के प्राकलित लागत कम/अधिक की जा सकती है।
- 14 निविदा के साथ 2 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- 15 धन उपलब्ध के सापेक्ष ही कार्य कराया जाय।
- 16 निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित टेकदार द्वारा कार्य का पंजीकरण श्रम विभाग में कराये जाने के उपरान्त ही अनुबन्ध का गठन किया जायेगा।
प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा प्रक्रिया/ अनुबन्ध की प्रक्रिया को बिना किसी पूर्व सूचना/ कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

21/10/18

अधिशासी अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

प्रखण्ड-कुशीनगर

eeredkushinagr@gmail.com